ख
म

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
15/7/25 एकजाई तारीख से पेश पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 21/7/25 को पेश हो। रीडर	प्रति. मुकेश, प्रहलाद की ओर से श्री भूपेन्द्र शर्मा एड. उप. 6/6/25
15/10/25 पत्रावली एकजाई पेशी से पेश। प्रार्थी 1, 2 की ओर से श्री भूपेन्द्र शर्मा एड. उप.। वास्ते तलबी 3 लगा. 6 पेश हो अन्यथा पत्रावली O 9 R 5 CPC में खारीज कर दी जावेगी। पत्रावली दि. 21/11/25 को पेश हो। SDO	
21/11/25 अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 24/12/25 को पेश हो S.D.O.	
24-12-25 अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 02-04-26 को पेश हो S.D.O.	सुरेश अधिकारी
24/12/2025 आज यह पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 2/4/26 से तलब होकर पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस प्रकरण में राजीनामा हो गया है इसलिए प्रार्थी द्वारा विड्र	

तारीख हुक्म	**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	करना चाहता है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र द्वारा की कार्यवाही इसी स्तर पर खारिज की जाकर पत्रावली विधि खारिज की जाती है। पत्रावली बाद पूर्ति नक्सल के कम धवार लगा लेके जाते है। (हस्ताक्षर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

सुरेश चन्द बनाम मुकेश वगै0

प्रार्थना पत्र संख्या– 02/36/2025

07.05.2025

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खाता संख्या 625 खसरा संख्या 286/0.02, 287/0.35, 288/0.01, 289/0.57 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर तकसीम होने तक आराजी के किसी भी विशिष्ठ भाग को दीगर शख्सों को किसी भी प्रकार से मुन्तकिल कर मुंतकिली का दस्तावेज पंजीबद्ध न करें, ना ही करावे, ना ही प्रार्थी को उनके हिस्सेनुसार कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग में कोई व्यवधान उत्पन्न करें। अन्त में उक्त विवादित आराजी के मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्राथी ने कथन किया कि उक्त विवादित आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थीगण की मुताबिक जमाबन्दी खाता संख्या 625 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ की रहखातेदारी खातेदारी है। विवादित आराजी की तकसीम होने तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी संख्या 286/0.02, 287/0.35, 288/0.01, 289/0.57 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे। उक्त आदेश उभयपक्षकारान पर प्रभावी रहेगें। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 06.06.2025 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

(हरकेश मीना आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

15/7/25 इकजाई तारीख से पेश
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 21/7/25 को पेश हो।

15/10/25 पत्रावली इकजाई पेशी से पेश वकील प्रार्थी उप॰ अप्रार्थी 1, 2, की ओर से भूपेन्द्र शर्मा उप॰। वास्ते तलबी 3 लगा॰ 6 दि 21/11/25 को पेश हो। अन्यथा पत्रावली ~~[illegible]~~ 9 R 5 CPC मे खारीज कर दी जायेगी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	21/11/25 .... अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 5/12/25 को पेश हो S.D.O.
	24/12/25 .... अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 02/04/26 को पेश हो S.D.O.
2/01/26	पत्रावली प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर (दिनांक 4/5/26 से तलब होकर पेश हुई। सुनी, कार्य की कार्यवाही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर स्थगित की जा चुकी है। इसलिए प्रार्थना पत्र की कार्यवाही भी इसी स्तर पर बंद की। जाकर प्रार्थना पत्र अस्वीकार / खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ति नियम से दाखिल होकर जमा रेकर्ड भंडार हो। SDO

श्रीमान्

न्यायालय श्रीमान उप खण्ड अधिकारी महोदय
राजगढ़ (अलवर)

सुरेशचन्द बनाम कुरेशा वगैरह
दावा बकाया आसामी
तारीख पेशी 24-12-2025

श्रीमान,

प्रार्थना पत्र प्रार्थी / वादी निम्न प्रकार प्रस्तुत है—

1. यह है की उक्त अनुमानी प्रकरण में आगामी तारिख पेशी 24/12/2025 नियत है।

2. यह है की उक्त प्रकरण में पक्षकारगण में आपस में राजिनामा हो गया है जिससे मै प्रार्थी / वादी उक्त प्रकरण मै आगे कोई कार्यवाही नही करना चाहता हूँ।

3. यह है की मै प्रार्थी / वादी अपने उक्त प्रकरण मै कोई कार्यवाही नही चाहता हूँ और अपना दावा खिड़ा करना चाहता हूँ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है की उक्त प्रकरण की पगनाली तारिख पेशी से तलब फरमा कर मेरा दावा खिड़ा करने बाबत आदेश देने की कृपा करें।

सुरेश चन्द शर्मा
प्रार्थी / वादी
सुरेश चन्द शर्मा पुत्र ...
नि. ... राजगढ़ (अलवर)

दिनांक :- 8/11/2025

8/11/25